चीन द्वारा परमाणु परीक्षण

7669. **श्री दयाराम शाक्य :**
श्री माधव राव सिंधिया:

क्या **विदेश** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चीन ने 15 मार्च, 1978 को परमाणु परीक्षण किया था ;

(ख) क्या भारत सरकार ने इस बारे में चीन के साथ वार्ता की थी ; और

(ग) उपरोक्त परीक्षण से भारत के किन भागों पर प्रभाव पड़ा ?

विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री समरेन्द्र कुण्डू) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) इस बात का कोई सबूत नहीं है कि भारत का कोई भाग इससे प्रभावित हुआ है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये स्वास्थ्य योजना

7670. **श्री रामजीवन सिंह :**

क्या **संसदीय कार्य तथा श्रम** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने औद्योगिक श्रमिकों के लिए कोई स्वास्थ्य योजना बनाई है ; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

श्रम तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राम कृपाल सिंह) : (क) औद्योगिक श्रमिकों के लिए कर्मचारी राज्य बीमा योजना नामक एक स्वास्थ्य योजना पहले ही कार्य कर रही है।

(ख) इस योजना का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

इस योजना के मुख्य ब्यौरे इस प्रकार हैं :—

सीमाक्षेत्र : प्रारंभ में यह योजना ऐसे बारहमासी कारखानों पर लागू थी जो पावर का इस्तेमाल करते हैं तथा जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित हैं। कुछ राज्य सरकारों ने इस योजना को पावर इस्तेमाल करने वाले तथा 10 से 19 व्यक्तियों को नियोजित करने वाले अपेक्षाकृत छोटे कारखानों पर व पावर न इस्तेमाल करने वाले ऐसे कारखानों तथा कुछ वर्गों के ऐसे प्रतिष्ठानों पर भी लागू किया है जिनमें 20 या उससे अधिक व्यक्ति नियोजित है। योजना की परिधि में आने के लिए मजदूरी सीमा 1000 रु० प्रति माह तक है।

दी गई असुविधाएं :

इस योजना में चिकित्सीय सुविधा और इलाज, बीमारी, प्रसूति और रोजगार के दौरान लगी चोट की अवस्था में नकदी भत्ता देने की व्यवस्था है। रोजगार में लगी चोट के कारण श्रमिकों की मृत्यु हो जाने पर उसके आश्रितों

को पेंशन मिलती है और बीमाशुदा व्यक्ति की अन्त्येष्टि पर खर्च के लिए अन्त्येष्टि प्रसुविधा दी जाती है ।

प्रशासन :

इस योजना का प्रशासन एक निगमित निकाय द्वारा किया जाता है जिसका नाम कर्मचारी राज्य बीमा निगम है । इस निगम में कर्मचारियों नियोजकों, केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारी, चिकित्सा व्यवसाय और संसद का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य शामिल है । इस योजना के अन्तर्गत चिकित्सा देख-रेख का प्रशासन करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है । परन्तु दिल्ली में चिकित्सा देख रेख की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी उस निगम की है ।

धन व्यवस्था :

इस योजना के लिए धन मुख्यत: विनियोजकों और कर्मचारियों के अंशदानों द्वारा जुटाया जाता है । नियोजक कुल वतन बिल के 4.35% की दर से अंशदान देते हैं । कर्मचारियों का अंशदान मजदूरी का लगभग 2.17% बैठता है ।

पालनपुर डाकघर के कर्मचारियों को मकान किराया भत्ता दिया जाना

7671. श्री मोतीभाई आर० चौधरी : क्या संचार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पालनपुर डाकघर के कर्मचारियों ने मकान किराया भत्ते की मांग की है और इस आशय का एक प्रस्ताव महानिदेशक डाक तथा तार को बहुत पहले भेजा गया था और यदि हां, तो इस मामले में निर्णय न किये जाने के क्या कारण हैं ;

(ख) क्या पालनपुर में जिला मुख्य कार्यालय है और वहां हीरे तराशने का उद्योग बड़े पैमाने पर पनपता जा रहा है जिसके परिणामस्वरूप वहां जनसंख्या एक दम बढ़ गई है तथा वहां मूल्यों में वृद्धि हुई है और यदि हां, तो क्या सरकार इस मांग को स्वीकार करेगी ; और

(ग) पालनपुर में मकान किराया भत्ता न दिये जाने के क्या कारण हैं जबकि वह ऐसे ही अन्य नगरों में दिया जा रहा है ।

संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नरहरि प्रसाद सुखदेव साय) : (क) और (ख) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है ।

(ग) मौजूदा नीति और मानदंडों के अनुसार पालनपुर में कार्यरत केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को, जिनमें डाक-तार कर्मचारी भी शामिल हैं, मकान किराया भत्ता देय नहीं है ।